

मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लि.

कार्यालय मेन्युअल

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005

पंजीकृत कार्यालय

पंचानन, पंचम तल, मालवीय नगर, भोपाल

## अध्याय-17 (मैनुअल-16)

### सूचना प्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

- 17.1 सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिये विभाग/संगठन द्वारा की गयी व्यवस्था का विवरण जैसे –
- 0- पुस्तकालय वर्तमान में निगम में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये कार्यालयीन उपयोग के लिये पुस्तकालय की सुविधा है ।
- 0- नाटक/नुक्कड –
- 0- अखबारों के द्वारा समय –समय पर प्रमुख जानकारियां समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित की जाती है ।
- 0- प्रदर्शनी –
- 0- सूचना पटल उपलब्ध है ।
- 0- अभिलेखों का निरीक्षण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत म. प्र. शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया/शुल्क के अनुसार कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों का निरीक्षण किया जा सकता है ।
- 0- दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने की व्यवस्था – सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत म. प्र. शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया/शुल्क के अनुसार सहायक लोक सूचना अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी से इस कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त की जा सकती है ।
- 0- उपलब्ध विभागीय मैनुअल 1-म.प्र. राज्य वन विकास निगम कर्मचारी सेवा नियम 1984  
2- एकाउन्ट मैनुअल ।
- 0-लोक प्राधिकरण की बेवसाईट [www.mpsfdc.com](http://www.mpsfdc.com)
- 0- अन्य प्रचार प्रसार के साधन निरंक

## अध्याय-18 (मैनुअल-17)

### अन्य उपयोगी जानकारियां

- 18.1 लोक प्राधिकरण से जनमानस द्वारा सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न व उनके उत्तर ।
- 18.2 सूचना प्राप्त करने के संबंध में  
' आवेदन पत्र (तथा सन्दर्भ के लिये एक भरे हुए आवेदन पत्र की प्रति )  
- शुल्क  
- सूचना आवेदन पत्र पर किस तरह से मांगी जाये- कुछ टिप्स  
- सूचना न देने व अपील करने के संबंध में नागरिक के अधिकार व अपील करने की प्रक्रिया

#### प्रारूप

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र ।

- 1- आवेदक का नाम      सेवाराम पिता मेवाराम -----
- 2- पूरा पता/ई मेल/फेक्स जिस पर जानकारी प्रेषित की जाना है -----
- 3- दूरभाष क्रमांक -9112---
- 4- आवेदन देने का दिनांक ---29-10-05-----
- 5- कार्यालय का नाम -म.प्र. राज्य वन विकास निगम लि. भोपाल -----
- 6- चाही गई जानकारी का विवरण -वन संरक्षण अधिनियम 1980 की प्रति-----
- 7- क्या चाहते है नकल/निरीक्षण/रिकार्ड निरीक्षण/रिकार्ड की प्रमाणित प्रति /प्रमाणित नमूना ।
- 8- आवेदक के साथ अदा किये जाने वाले प्रोसेस की फीस रूपये 10/- नगद/स्टाम्प  
बीपीएल सूची के सदस्य को देय नहीं
- रसीद क्रमांक -----एवं दिनांक -----
- 8- आवेदक गरीबी की रेखा के नीचे है अथवा नहीं -----हां/नहीं
- यदि हां तो बीपीएल सूची का अनुक्रमांक हस्ताक्षर  
आवेदन कर्ता
- टीप- यदि आवेदक द्वारा डाक से आवेदन प्रेषित किया जाता है तो आवेदन पत्रों पर रूपये 10/-  
का नान ज्यूडिशियल स्टाम्प चस्पा करते हुए स्वयं का पता अंकित करते हुए आवश्यक राशि डाक

टिकिट लगा लिफाफा संलग्न प्रेषित करें ।

पावती

- 1— आवेदन प्राप्त होने का दिनांक —29.10.05—
- 2— आवेदनकर्ता को वांछित जानकारी प्राप्त करने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित होने का दिनांक
- 3— संबंधित शाखा/अधिकारी जहां से जानकारी उपलब्ध होगी —व्यय शाखा से—  
लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राधिकृत दिनांक '29.10.05—

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर  
पदनाम ( रबर सील )

सूचना /अभिलेख प्राप्त करने के लिये निर्धारित शुल्क ।

1—आवेदन पत्र के साथ 10/— रु का आवेदन शुल्क नगद अथवा नानजूडिसियल स्टाम्प के रूप में लगाना अनिवार्य है ।( बी.पी.एल. आवेदक से उक्त शुल्क देय नहीं है ।)

2—प्रथम अपील शुल्क रु. 50/— तथा द्वितीय अपील शुल्क रु 100/— नगद अथवा नान ज्यूडिसियल स्टाम्प के रूप में जमा किया जाना है ( बी.पी.एल. आवेदक को उक्त शुल्क देय नहीं है । )

3— इसके साथ यह स्पष्ट यािा जाता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 7 की उप धारा 5 के तहत फलापी/डिस्क्रेट में जानकारी हेतु 50 रूपये प्रति डिस्क्रेट/फलापी आवेदक से वसूल की जावें ।

4— कई विभागों द्वारा मुद्रित रिपोर्ट एवं अन्य सामग्री जानकारी प्रकाशित की जाती है ऐसे प्रकाशन के मूल्य विभाग द्वारा पूर्व से ही निर्धारित किये जाये तथा आवेदक से तदनुसार मूल्य वसूल किये जायें । जिन प्रकाशनों का पूर्व से ही मूल्य निर्धारित है उनके लिये आवेदक से निर्धारित मूल्य वसूल किया जायें । ऐसे प्रकाशन से उद्धरण की प्राप्ति हेतु जो ए-3/ए-4 साइज के पेपर पर उपलब्ध करानी हो तो प्रति पृष्ठ पैरा 1 के अनुसार 2 रूपये प्रति पृष्ठ आवेदक से वसूल किये जायें ।

- 18.3 लोक प्राधिकरण द्वारा जनता को दिये जाने वाले प्रशिक्षण के सम्बन्ध में प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम व विवरण— निरंक
- 18.4 — प्रमाण पत्र,अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि का नाम व विवरण —निरंक
- 18.5 लोक प्राधिकरण में होने वाले पंजीयन के संबंध में — निरंक
- 18.6 लोक प्राधिकरण आदि द्वारा टेक्स लेने के संबंध में — निरंक

- 18.7 लोक प्राधिकरण द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली बिजली/पानी के कनेक्शन, कनेक्शन को अस्थायी/स्थायी रूप से विच्छेदन, आदि के सम्बन्ध में ( यह सूचना स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका/नगर परिषद /यूपीसीएल द्वारा दी जा सकती है ) निरंक
- 18.8 लोक प्राधिकरण द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली अन्य सेवाओं का विवरण – निरंक

अन्य विवरण प्राप्त करने हेतु अध्याय 8 में दिये गये अधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता है ।